**संख्या-15-2025-434-57-1099-13-2026**

प्रेषक,

**विनोद कुमार सिंह,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- **जनपद अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के समीप स्थित रामकोट एवं कटरा में संशोधित मैकेनाइज्ड मल्टीलेबल स्मार्ट पार्किंग प्रबन्धन प्रणाली विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1243/ध0का0वि0नि0/2025-26, दिनांक 06.02.202 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर संचातिल जनपद अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के समीप स्थित रामकोट एवं कटरा में संशोधित मैकेनाइज्ड मल्टीलेबल स्मार्ट पार्किंग प्रबन्धन प्रणाली विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 07.01.2026 द्वारा राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश दिनांक 19.03.2015 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अनुसार आगणित धनराशि रू0 5516828.95/- को पूर्णांकित करते हुए धनराशि रू0 5516829/-(रूपये पचपन लाख सोलह हजार आठ सौ उनतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के समीप स्थित रामकोट एवं कटरा में संशोधित मैकेनाइज्ड मल्टीलेबल स्मार्ट पार्किंग प्रबन्धन प्रणाली विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 07.01.2026 द्वारा राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश दिनांक 19.03.2015 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अनुसार आगणित धनराशि रू0 5516828.95/- को पूर्णांकित करते हुए धनराशि रू0 5516829/- (रूपये पचपन लाख सोलह हजार आठ सौ उनतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में प्रश्नगत परियोजना हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में धनराशि रू0 5516829/- (रूपये पचपन लाख सोलह हजार आठ सौ उनतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि रू0 5516829/-(रूपये पचपन लाख सोलह हजार आठ सौ उनतीस मात्र) को एकमुश्त

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

**<u>नियम, शर्तें एवं प्रतिबन्ध-</u>**

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

(3) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा भूमि क्रय के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति पर सहमति जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, अयोध्यार स्वयं उत्तदरदायी होंगे।

(8) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी/लखनऊ से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि जिलाधिकारी, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,16,829 (रुपये पचपन लाख सोलह हजार आठ सौ उनतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या**-084, **लेखा शीर्षक**-4250008001700 धर्मार्थ कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु **मानक मद**-60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-5-219-X-2025-26- दिनांक:6-3-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**विनोद कुमार सिंह,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या/लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या/लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।

7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**विनोद कुमार सिंह,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।